केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
Central Government Employees Welfare Housing Organisation
(Ministry of Housing & Urban Poverty Alleviation, Govt. of India)

छठा तल, ए खण्ड, जनपथ भवन,
जनपथ, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23739722 / 23717249 / 23355408
फैक्स : 23717250

6th floor, 'A' Wing, Janpath Bhawan,
Janpath, New Delhi-110001
Phones : 23739722 / 23717249 / 23355408
Fax : 23717250
E-mail : cgewho@nic.in

<u>तीव्र डाक</u>

A-110/6 (खण्ड–2) 30-01-2017

सेवा में,

एस ए एस नगर, सेक्टर–79, मोहाली आवासीय योजना के सभी पंजीकृत आवेदक।

विषय : केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन की सेक्टर–79, एस ए एस नगर, मोहाली, पंजाब स्थित परियोजना में निर्माण कार्य शुरू होने के बाबत।

महोदय / महोदया,

एस ए एस नगर, सेक्टर–79 आवासीय योजना में अग्रेसीत कार्रवाई के क्रम में सीजीईडब्ल्यूएचओ द्वारा आपके आवंटन के पुष्टिकरण का संदर्भ लें। इसमें आपको सूचित करना है कि....

(अ)	आज की तारीख में ग्रेटर मोहाली एरिया विकास प्राधिकरण द्वारा संस्तुत कुल 316 आवासीय इकाईयों में से सिर्फ 144 आवासीय इकाईयों का अभिदान (Subscription) मिला है, जो कि 50% से भी कम है।
(ब)	योजना के रूपरेखा की संस्तुति हेतु ग्रेटर मोहाली एरिया विकास प्राधिकरण (गमाडा) के कार्यालय में अभी भी लम्बित है।
(स)	वर्तमान परिस्थिति में प्लाट की भौगोलिक स्थिति और मौजूद अभिदान (Subscription) को देखते हुए सीजीईडब्ल्यूएचओ इस अवस्था में नहीं है कि परियोजना को टुकड़ों में लागू किया जाए।
(द)	मोहाली (फेस–1) एवं (फेस–2) में क्रमशः 23 एवं 134 आवासीय इकाईयों को पूर्ण अभिदान (Subscription) न मिलने के कारण सीजीईडब्ल्यूएचओ की पर्याप्त राशि लगी हुई है।

2. उपरोक्त विषय को मद्देनजर रखते हुए सभी पंजीकृत आवेदकों को अनुलग्नक–1 के अनुसार निम्नलिखित विकल्प प्रस्तावित है। आपसे निवेदन है कि आप इन विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते है।

3. आपको सूचित किया जाता है कि अनुलग्नक–1 में अपना सही विकल्प चुनकर हमें 28.02.2017 तक भेज दें।

विकल्प–1 :एस ए एस नगर आवासीय योजना के लाभार्थी हमारी सेक्टर–125 स्थित मोहाली (फेस–1) एवं (फेस–2) पूरी तरह से रिहाईश के लिए तैयार अपार्टमेंट में बकाया राशि का भुगतान करके तुरंत कब्जा ले सकते है।

विकल्प–2 : सेक्टर–79, एस ए एस नगर, मोहाली आवासीय योजना में बने रहने की पुष्टि करना।

वे लाभार्थी जो अपनी कुल जमा पूँजी को सेक्टर–79, शास नगर, मोहाली आवासीय योजना में निर्माण कार्य शुरू होने तक सीजीईडब्ल्यूएचओ में रखेंगे, उन्हें......

अ) परिवर्तित कीमत और विन्यास (अगर परिवर्तन हुआ) के अनुसार उनके आवंटन की पुष्टि का विकल्प दिया जाएगा।

ब) वे आवेदक जो योजना में अन्त तक बने रहेंगे उनकी जमा राशि पर योजना की अन्तिम तिथि (31.07.2014) या सीजीईडब्ल्यूएचओ के खाते में जमापूँजी (जो भी अन्तिम हो) से या परिशोधित योजना की अन्तिम तिथि, जो भी पहले हो पर 5% सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। हॉलाकि उपरोक्त ब्याज का समायोजन छठी और अन्तिम किस्त के समय किया जाएगा।

अग्रेसीत .....पृष्ठ सं./2

स) उन्हें निःशुल्क सीजीईडब्ल्यूएचओ नियमावली उनके उपलब्ध पत्राचार पते पर भेजी जाएगी।

द) उनकी जमा राशि पर योजना की अन्तिम तिथि (31.07.2014) या सीजीईडब्ल्यूएचओ के खाते में जमापूँजी (जो भी अन्तिम हो) वापसी विकल्प भेजने की तिथि से या परिशोधित आवासीय योजना की अन्तिम तिथि, जो भी पहले हो पर 5% सालाना की दर से ब्याज सहित वापसी निवेदन (Withdrawal Request) पर वापस कर दी जाएगी। इस विषय पर सीजीईडब्ल्यूएचओ का अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार/अस्वीकार करे।

विकल्प–3 : सेक्टर–79, एस ए एस नगर, मोहाली आवासीय योजना से वापसी। (Withdrawal)

वे आवेदक जो अपना नाम योजना से वापस लेंगे उनका भविष्य में योजना में निर्माण कार्य शुरू होने या पुनः घोषित होने पर आवंटन पर कोई अधिकार नहीं रहेगा और उनकी जमा राशि पर योजना की अन्तिम तिथि (31.07.2014) या सीजीईडब्ल्यूएचओ के खाते में जमापूँजी (जो भी अन्तिम हो) वापसी विकल्प भेजने की तिथि से या परिशोधित योजना की अन्तिम तिथि, जो भी पहले हो पर 5% सालाना की दर से ब्याज सहित वापस कर दी जाएगी।

4. इस पत्र की प्रतिलिपि सीजीईडब्ल्यूएचओ की वेबसाइट : http://www/cgewho.in. पर भी उपलब्ध है।

भवदीय,

एम के माइति
उप निदेशक (प्रशासन)
कृते मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संलग्न : उपरोक्त (अनुलग्नक–1)

अनुलग्नक–1
सीजीईडब्ल्यूएचओ पत्र सं.ए–110/6 (खण्ड–2)
दिनांक 30.01.2017

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन
छठी मंजिल, ए विंग, जनपथ भवन, जनपथ
नई दिल्ली.110001

विषय : **केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन की एस ए एस नगर, सेक्टर–79, मोहाली स्थित आवासीय योजना के सभी आवेदकों के लिए विकल्प।**

महोदय/महोदया,

कृप्या आपके सूचना पत्र दिनांक 30.01.2017, जो कि सेक्टर–79, एस ए एस नगर, मोहाली आवासीय योजना से सम्बन्धित था, का संदर्भ लें।

2. मैं एत्तद्वारा विकल्प को चुनकर सूचित करता हूँ जो कि निम्नलिखित है : (कृप्या नीचे दिए गए तीन विकल्पों में से किसी एक को चुने और हस्ताक्षर करें। आपके मामले में जो भी उपयुक्त हो उस अनुदेश का पालन करें।

विकल्प	विकल्प का ब्यौरा
1	एस ए एस नगर आवासीय योजना के लाभार्थी हमारी सेक्टर–125 स्थित मोहाली (फेस–1) एवं (फेस–2) पूरी तरह से रिहाईश के लिए तैयार अपार्टमेंट में बकाया राशि का भुगतान करके तुरंत कब्जा ले सकते है।
2	मैं एत्तद्वारा टाईप ए (1 कमरा) या टाईप बी (2 कमरे) या टाईप सी (3 कमरे) या टाईप डी (4 कमरे) आवासीय इकाई में अपने आवंटन की पुष्टि करता/करती हूँ (कृप्या किसी एक विकल्प को चुने, जो आपके लिए उपयुक्त हो और उस पर सही का निशान लगायें) और आपके पत्र संख्या ए–110/6 (खण्ड–2) दिनांक 30.01.2017 के अनुसार सीजीईडब्ल्यूएचओ की सेक्टर–79, एस ए एस नगर आवासीय योजना में बने रहना चाहता हूँ।
3	मैं, एत्तद्वारा अपना नाम सीजीईडब्ल्यूएचओ की सेक्टर–79, एस ए एस नगर आवासीय योजना से वापस लेता/लेती हूँ। जैसा कि आपके पत्र दिनांक 30.01.2017 में प्रस्तावित है, मुझे मेरा पैसा ब्याज सहित लौटाया जाय, जिसके लिए मैं निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ अ) आवंटन पत्र या सूचना पत्र की मूल प्रति। ब) सभी भुगतान रसीदें। स) पूर्व–प्राप्ति पूरा भरा हुआ, हस्ताक्षरित रू1/– की रसीदी टिकट लगी हो। (इस फार्म की प्रतिलिपि स्कीम विवरणिका के पृष्ठ सं.–22 (अनुलग्नक–3) और सीजीईडब्ल्यूएचओ की वेबसाइट www.cgewho.nic.in के डाउनलोड़ सेक्शन में भी उपलब्ध है।

भवदीय,

संलग्नः उपरोक्त विकल्प.2 के अनुसार।

लाभार्थी के हस्ताक्षर

नाम
पंजीकरण सं.
पत्राचार का पता

विकल्प भेजने की अन्तिम तिथि **28.02.2017**